11/2020 [illegible]

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15-12-2020	पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-1-2021 को पेश हो। [signature] रीडर
19-1-2021	वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट अप्राप्त। रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पत्रावली दि० 15-2-2021 को पेश हो। [signature]
15-2-2021	वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त। बहस सुनी गई। प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] कर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स[illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:04 IST
Reason: SelfAttested

8.9.2020

[illegible] गुलाब पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी नौगॉव तह0 गंगापुर

—प्रार्थी

बनाम

—अप्रार्थी

[illegible] तहसीलदार गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

[illegible] —श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय [illegible] किया है कि भूमि हॉल ख0न0 126/1769 रकबा 0.24 है0, ख0न0 [illegible] रकबा 0.13 है0, ख0न0 138 रकबा 0.29 है0, ख0न0 216 रकबा 0.12 [illegible] ख0न0 295 रकबा 0.18 है0, ख0न0 316 रकबा 0.19 है0 ग्राम नौगॉव मे [illegible] है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी का नाम जगराम पुत्र जयनारायण है जिसे गॉव मे गुलाब नाम से भी बुलाते है, किन्तु यह नाम प्रार्थी [illegible] का नाम है। प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम जगराम पुत्र जयनारायण है। राजस्व कर्मचारियो ने भूलवश प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे जगराम की जगह प्रार्थी का उपनाम गुलाब अंकित कर दिया है। राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर प्रार्थी को उक्त इन्द्राज के बारे मे जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का हॉल ख0न0 126/1769 रकबा 0.24 है0, ख0न0 127 रकबा 0.13 है0, ख0न0 138 रकबा 0.29 है0, ख0न0 216 रकबा 0.12 है0, ख0न0 295 रकबा 0.18 है0, ख0न0 316 रकबा 0.19 है0 ग्राम नौगॉव मे गुलाब के स्थान पर जगराम पुत्र जयनारायण दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 141 ग्राम नौगॉव, सरपंच ग्राम पंचायत नौगाव का प्रमाण पत्र दिनांक 26.7.2020, फोटोकापी भामाशाह कार्ड, फोटोकॉपी वोटर आई डी, फोटोकॉपी आधार कार्ड, फोटोकॉपी राशन कार्ड प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थी का प्रचलित नाम गुलाब है [illegible] प्रार्थी को इसी नाम से गॉव मे पहचाना जाता है। पिताजी की मृत्यु के बाद विरासत नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 10.6.1992 मे प्रार्थी का नाम गुलाब दर्ज हुआ है इसके बाद नामान्तकरण संख्या संख्या 500 दिनांक 19.1.2002 [illegible] नामान्तकरण संख्या 1379 दिनांक 16.9.2014 द्वारा भूमि पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी के नाम दर्ज की है जो प्रार्थी की जानकारी एवं सहमति के बिना संभव नही है। प्रार्थी द्वारा गुलाब पुत्र जयनारायण के स्थान पर जगराम पुत्र जयनारायण शुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:04 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] जिला कलेक्टर
[illegible]पुर सिटी (स०मा०)

किया है कि प्रार्थी के नाम के बारे मे ग्राम वासियो से जानकारी करने बताया गया कि गुलाब पुत्र जयनारायण का सही नाम जगराम पुत्र जयनारायण है। गुलाब बोलता नाम है इसलिए गुलाब पुत्र जयनारायण माली व जगराम पुत्र जयनारायण माली एक ही व्यक्ति है। गुलाब पुत्र जयनारायण नाम का कोई व्यक्ति नही है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी का सही नाम जगराम है, प्रार्थी को गॉव मे बोलता नाम गुलाब से जाना जाता है। राजस्व अभिलेख मे प्रार्थी का नाम गुलाब पुत्र जयनारायण दर्ज किया हुआ है जबकि प्रार्थी का सही नाम जगराम पुत्र जयनारायण है। जिसे दुरूस्त किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारिज करने का निवेदन किया है इसके पश्चात अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.2.2021 मे यह अंकित किया है कि गुलाब पुत्र जयनारायण माली एवं जगराम पुत्र जयनारायण माली एक ही व्यक्ति है तथा प्रार्थी जगराम का बोलता नाम गुलाब है। इस रिपोर्ट के साथ फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 9.2.2021 की छायाप्रति, प्रार्थी के मतदाता कार्ड की छायाप्रति, प्रार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से यह विदित है कि प्रार्थी का नाम जगराम पुत्र जयनारायण है, गुलाब उसका बोलता नाम है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नौगॉव की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 141 में दर्ज प्रविष्टि "गुलाब पुत्र जयनारायण" के स्थान पर प्रविष्टि "जगराम पुत्र जयनारायण" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:04 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)